आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु०अ०(नि०)–रा० यो०–586/2024 352 /पटना, दिनांक– 24-01-202

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के शिवहर एवं मुंगेर जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पथ निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103– ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)– उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के शिवहर एवं मुंगेर जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पथ निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई **8.450 कि0 मी० के निर्माण की राशि 1697.786 लाख (सोलह करोड़ संतानबें लाख अठहतर हजार छः सौ रुपया मात्र) है–हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

परिशिष्ट–1

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि० मी०)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कटिंजेसी की राशि (लाख में)	भूमि अधिग्रहण की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sheohar	Sheohar	Piprahi	"Construction of Approach Road of Sheohar Engineering Collage" पथ निर्माण कार्य	**5.700**	**1008.634**	**49.565**	**22.694**	**00.000**	**1080.893**
2	Munger	Kharagpur-Tarapur	Asarganj	"Chorgaon Dhobaadi Pokhar se Four Lane" पथ निर्माण कार्य	**2.750**	**414.478**	**39.961**	**10.224**	**152.230**	**616.893**
				Total	**8.450**					**1697.786**

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।

4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना) —उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-451500103010 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहरण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।

6. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ० 4 (मु०) रा0 यो0—07—11 / 2023 के पृष्ठ संख्या—72 / टि०) पर प्राप्त है।

10. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा संचिका सं0 मु0 अ0 (नि0) रा0 यो0—586 / 2024 के पृ0 सं0—10 पर दिनांक 15.01.2025 को प्राप्त है।

11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान / प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ० (नि०) राज्य योजना—586 / 2024 के पृष्ठ संख्या— 05 / टि० पर दिनांक 08.01.2025 को प्राप्त है।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0—12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।

19. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।

20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ० (नि०) राज्य योजना–586/2024 352 /पटना, दिनांक– 24-01-2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ० (नि०) राज्य योजना–586/2024 352 /पटना, दिनांक– 24-01-2025

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ० (नि०) राज्य योजना–586/2024 352 /पटना, दिनांक– 24-01-2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3/6, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता) ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय,(मौर्या लोक कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड पटना/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव